Vol 4 Issue 10 April 2015 ISSN No :2231-5063

International Multidisciplinary Research Journal

Golden Research Thoughts

Chief Editor
Dr.Tukaram Narayan Shinde

Publisher
Mrs.Laxmi Ashok Yakkaldevi

Associate Editor
Dr.Rajani Dalvi

Honorary
Mr.Ashok Yakkaldevi

Welcome to GRT

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2231-5063**

Golden Research Thoughts Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board.Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

International Advisory Board

Flávio de São Pedro Filho
Federal University of Rondonia, Brazil

Kamani Perera
Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea,Romania

Mohammad Hailat
Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

......More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University,Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University,Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary,Play India Play,Meerut(U.P.)

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh,
Vikram University, Ujjain

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU,Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra
Maulana Azad National Urdu University

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.aygrt.isrj.org

Golden Research Thoughts ISSN 2231-5063 Impact Factor : 3.4052(UIF)
Volume-4 | Issue-10 | April-2015 Available online at www.aygrt.isrj.org

समावेशी शिक्षा– एक नजर

कृष्ण कुमार पाठक
सहायक प्राध्यापक गुरू घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

Short Profile

Krishna Kumar Pathak is working as an Assistant Professor at Department of Education in Guru Ghasidas (Central) University,Bilaspur,C.G. He has completed M.A., M.Ed., NET. He has professional experience of 3 years.

Co- Author Details:

शिव कुमार
सहायक प्राध्यापक गुरू घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

प्रस्तावना :–

ऐसा समाज, जिसमें बच्चों और युवाओं की शिक्षा की दृष्टि नहीं है वह इसके लिए तैयार भी नहीं है तो वह खत्म हो जाने को अभिशप्त है।' महात्मा गांधी वर्तमान समय में सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है सभी इस समाज में समान रूप से रह सकते हैं रहने के साथ ही जीवन में विकास करने के लिए शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षा का अधिकार लागू हो जाने पर इसी के आधार पर वह जीवन की चुनौतियों से जूझने में समर्थ होता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए यह भी ज्यादा आवश्यक है ताकि वह अपनी विविध प्रतिभाओं को शिक्षा के बल पर प्रतिपारित करते हुए अपना जीवन खुशनुमा व उपयोगी बना सके।

औपचारिक शिक्षा के अलावा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के कई और मुद्दे जैसे समाज में स्थिति, रोजगार के अवसर, स्वास्थ्य तथा शिक्षा संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ता है। इस मुद्दे को देश विदेश सहित संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भी समय समय पर उठाए जाते हैं।

भारत सरकार के द्वारा समय समय पर इनके लिए नीतियां अधिनियम, तथा शिक्षा पद्धतियां लाकर इनको मुख्य धारा में जोडने का प्रयास कर रही है

मुख्य शब्द–नीति अधिनियम, समावेशी शिक्षा, लक्ष्य, प्रक्रिया भूमिकाएं मुद्दे चुनौतियां आदि।

विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा जैसे शब्द शैक्षिक शब्दावली में विकलांग बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में प्रयुक्त होते रहे हैं। शब्दों की जुगाली करने वाले लोग इसे विशेष या एकीकृत शिक्षा से कुछ अलग कोई नयी चीज नहीं मानते हैं वे इन शब्दों का प्रयोग आपस में अदल बदल कर करते हैं इस प्रकार से अलग अलग विचार धारा के रूप में शिक्षा के लिए परिभाषित किया गया है।

विशेष शिक्षा के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्कूल, परिवार और समाज के अनुकूल समायोजित करने का प्रयास किया जाता है ताकि वे अपनी दिन प्रति दिन की समस्याओं को हल करने में सक्षम हो सके।

''शब्दों के विचार धारा के बीच में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए तथा सामान्य बच्चे के साथ ही भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समता, स्वतंत्रता, न्याय और सम्मान की बात की गयी है साथ ही विशेष आवश्यकता वाले लोगों के लिए एक समावेशी समाज का अधिदेश देता हैं''

हल्लहन और काफमैन

भारत सरकार की ओर से कुछ नियम व अधिनियम बनाया गया है जो की विशेष आवश्यकता वाले लोगों के लिए बनाया गया है जिसमें कुछ में सामान्य बच्चों के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के भी उल्लेख किया गया है –

१.भारतीय पुर्नवास परिषद – १९९२
२.निशक्त जन अधिनियम – १९९५
३.राष्ट्रीय न्यास अधिनियम – १९९९
४.सर्वशिक्षा अभियान – २००२
५.समावेशी शिक्षा – २००६
६.शिक्षा का अधिकार – २००९

इन सभी नीति के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चे/व्यक्तियों के शिक्षा की चर्चा की गयी है इनके अंतर्गत २००२ मे आये सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत सबके लिये शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्त के लिए उद्देश्य बनाया गया। इसी के अंदर भारत सरकार के द्वारा ८६ वें संशोधन के अंतर्गत ६ से १४ आयु वाले सभी बच्चों को शिक्षित करना इसको राष्ट्रीय कर्तव्य में भी जोड दिया या। जिसमें कि प्रत्येक माता पिता की यह कर्तव्य बनता है कि वे अपने बच्चे चाहे वह जिस भी प्रकार का हो अर्थात क्यों न वह विशेष आवश्यकता वाला बालक हो उसे शिक्षा प्राप्ति के लिए विद्यालय में नामांकन कराना है और सभी को शिक्षा से जोड़ना है।

भारत में सभी को शिक्षा देने की बात लगातार कही जा रही है इसी संदर्भ में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए भी भारत में विशेष शिक्षा एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा जैसे शब्द शैक्षिक शब्दावली में इन बच्चों की शिक्षा के लिये प्रयुक्त होते रहे हैं।

समावेशी शिक्षा शिक्षण की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को सामान्य बच्चों के साथ मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। इसके अंतर्गत पठन पाठन के अलावा विकलांग बच्चों के लिए बाधा रहित स्कूली माहौल का निर्माण कार्य भी शामिल हैं। शैक्षिक कार्य की इस नवीन प्रणाली के हाशिये पर वे ऐसे बच्चे भी लाभान्वित होते हैं जिन्हें अपनी दिनचर्या से लेकर पढाई पूरी करने के लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता पडती है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्यतः दृष्टि, श्रवण, अस्थि एवं अधिगम अक्षमता के साथ साथ मानसिक मंदता और बधिरांधता से ग्रस्त होते हैं। समावेशी शिक्षा शब्द १९९० के दशक के मध्य में जब १९९४ में सलामांका (स्पेन) में यूनेस्को द्वारा विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष सम्मेलन सुलभता और समता के आयोजन के दौरान आया । इस सम्मेलन में ९२ सरकारों और २५ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में यह उद्घोषणा भी की गयी कि समावेशी दिशाबद्वता वाले नियमित विद्यालय भेदभाव पूर्ण व्यवहारों को रोकने, सहज रूप से अंगीकार करने वाले समुदायों से बनाने समावेशी समाज की रचना करने और सभी के लिये शिक्षा हासिल करने में सर्वाधिक सालामाला वक्तव्य में इस बात पर बल दिया गया कि ‘‘हर शिशु को शिक्षा का बुनियादी अधिकार है और उसे अधिगम का एक स्वीकार्य स्तर प्राप्त करने और बनाये रखने का अवसर दिया

जाना चाहिए।

लक्ष्य :–

१.बच्चों को बिना किसी भेदभाव के अपना सर्वश्रेष्ठ दिया जावे।
२.बच्चों को समुचित और समृद्ध माहौल मिले।
३.बच्चों में क्षमताएं विकसित करने में मदद की जाय ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके।
४.बच्चों में समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता दी जाय।

समावेशन की प्रकिया :–

समावेशन की प्रकिया में निम्नलिखित बिन्दु मुख्य है :–

१.जागरूकता
२.शीघ्र पहचान
३.अनौपचारिक जांच
४.औपचारिक जांच
५.योजना एवं प्रबंधन की आधारभूत आवश्यकता
६.वैयक्तिक पाठ योजना
७.सहायक उपकरण
८.शिक्षक प्रशिक्षण
९.बाधा मुक्त वातावरण

समावेशी शिक्षा में आवश्यक भूमिकाएं :–

समावेशी शिक्षा में निम्न की महत्वपूर्ण भूमिका होती है :–

सामान्य शिक्षक :–

ए. माता पिता को जानकारी देना
बी. गंभीर निःशक्त बच्चों के माता पिता से लगातार संपर्क रखना।
सी. विशेष बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह स्वीकार करना।
डी. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति सकारात्मक सोच रखना।

विशेष शिक्षक की भूमिका :–

ए.विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना ।
बी. बच्चे की कौशल की पहचान करना ।
सी.सामान्य शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अधिगम संबंधी परामर्श देना ।
डी.मुख्य धारा में शामिल करने संबंधी गतिविधियों में बढ़–चढ़ के भाग लेना ।
इ.व्यक्तिगत इतिहास तैयार करना ।

समुदाय की भूमिका :–

ए.विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भावनात्मक लगाव ।

बी. इनके अभिभावकों को इनकी शिक्षा के प्रति जागरूक करना ।
सी. स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों को स्कूल में नामांकन हेतु अभिभावकों को प्रोत्साहित करना
डी. अभिभावकों को विकलांग बच्चों के प्रति संवेदन शील बनाना।

परिवार की भूमिका :–

ए. विशेष बच्चों की जरूरत को पहचान करना।
बी. बच्चे का पालन पोषण का ध्यान रखना
सी. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विविध सामाजिक गतिविधियों में सहभागी बनाना।
डी. इन बच्चों को विद्यालय पहुंचाना तथा विद्यालयों की गतिविधियों में भाग लेने के लिएप्रोत्साहित करना।
इ. इन बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार करना।

कियान्वयन में समावेशी शिक्षा के मुद्दे :–

१.दृष्टिकोण :– समावेशन की सबसे बड़ी बाधा समाज के लोगों की है जो इन्हें सामान्य की तरह से नहीं देखते हैं।
२.शिक्षकः– समावेशी शिक्षा के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या बहुत सीमित है जिसके कारण
३. समावेशी शिक्षा का क्रियान्वयन में समस्या हो रही है।
४.विद्यालय :– इस प्रकार की शिक्षा के अनुसार इन बच्चों के लिए सुविधा नहीं उपलव्ध हो पा रही है जैसे – कैम्प, सुविधानुसार दरवाजे, बच्चों के लिए उपयुक्त सामग्री आदि।

संप्रेषण की भाषा :–

सभी बच्चों की भाषा समान नहीं होती जिससे इन्हें एक–दूसरे से संप्रेषण करने में दिक्कत होती है। अतः इन बच्चों को समझने के लिए कि ये क्या कहना चाहते है इनकी भाषा को जानना व समझना।

चुनौतियाँ :–

१.मनोवृत्ति की बाधाएं
२.विद्यालय और कार्यस्थल पर प्रणाली में बदलाव न होना ।
३.प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी ।
४.नीतियों व कानूनों का निष्प्रभावी क्रियान्वयन
५.अति संवेदनशीलता एवं जागरूकता का अभाव
६.बाधामुक्त वातावरण लिये भवन बनाने में मात्रात्मक और गुणवत्ता पूर्ण विकास की निगरानी व आकलन का अभाव ।
७.फंड की कमी, चिन्हित करने के तरीकों का अभाव ।

समावेशीकरण तथा मुख्यधारा में लाने की प्रतिबद्धता ही निशक्त लोगों के लिए सरकार निःशक्त व्यक्तियों को समान अधिकार, शिक्षा, समावेशीकरण और सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक नया निःशक्तता मामलों का विभाग भी स्थापित किया गया है। जो निशक्तजनों का सशक्तीकरण करता है वर्तमान समावेशी ढांचे में हालांकि विभिन्न पहल का असर के आंकलन के लिये शैक्षणिक वार्ता को बढावा देना भी जरूरी है, शुरूआती वर्षो में कठिनाइयां और समस्याएं पैदा होगी और इस दिशा में विकास धीमा होगा। यह महत्वपूर्ण है कि हम व्यक्ति की क्षमताओं के प्रति आत्म विश्वास बनाये रखे। समावेशी ढांचा वस्तुतः समर्पित व प्रतिबद्ध प्रबंधन और एक संयुक्त टीम का बल है। सुविधाओं का उपयोग चरणबद्ध तरीके से करना युक्ति संगत होगा और शुरूवात में एक या दो प्रकार की निःशक्तता के उदाहरणों को लेकर होगा ।ऐसे निशक्त बच्चों की संख्या और पड़ोस में रहने वाले ऐसे बच्चों की संख्या पर भी यह निर्भर करेगा और यह

सुनिश्चित करना होगा कि माता पिता भी भागीदार बनें सहयोगी उपकरणों की उपलब्धता हो, विशेष छूट का प्रावधान हो और परीक्षा में भी अपेक्षित सुधार किए जाएं।

समावेशीकरण और मुख्य धारा में लाने की प्रतिबद्धता ही निशक्त लोगों के लिए बनी सभी निर्णयों और नीतियों का मार्गदर्शन करने वाली होनी चाहिए। तथा आगे का रास्ता नीति नियंताओं और प्रमुख एजेन्सी के लिये समूह के काम के साथ बहुविधि तरीके अपनाने, समावेशीकरण सुनिश्चित करने, विद्यालयों में दाखिला बढाने, सहायक उपकरणों जैसे वाचाल संगणक, बोलने वाली कलम और परीक्षाओं में छूट, परीक्षा प्रणाली में सुधार, शिक्षकों का प्रशिक्षण, कानून की मजबूरी और भरपूर संसाधनों की उपलब्धता से होकर ही जाता है इस को क्रियान्वित करते हुए समावेशी शिक्षा हालांकि कठिन है लेकिन इसे संभव बनाया जा सकता है।

''हम कई बार स्पर्श की शक्ति, एक मुस्कान, एक सुंदर शब्द सुनने वाले कान, एक ईमानदार शुभेच्छा अथवा देखभाल की छोटी कोशिशों का कम आंकलन करते हैं जबकि इन सबमें जीवन को बदलने की क्षमताएं हैं''

लियो एक बुस्काग्लियर

संदर्भ सूची :–

१.तुली, उ. (२०१३) समावेशी शिक्षा एक वास्तविकता, योजना नयी दिल्ली, अप्रेल अंक

२.सिंगल निधि (२०१३) विकलांब बच्चों की शिक्षा, योजना नयी दिल्ली, अप्रेल अंक

३.ओझा, एस.के. (२०१३) संख्या एवं नगरीकरण बौद्धिक प्रकाशन इलाहाबाद

४.सर्व शिक्षा अभियान २००४ मनुअल फार प्लानिंग एंड एप्रेसल एम.एच.आर.डी. इलिमेन्टी एजुकेशन और लिटरेसी नयी दिल्ली

५.संजीव के, (२००६) विशिष्ट शिक्षा, जानकी प्रकाशन, पटना

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Book Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- International Scientific Journal Consortium
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- EBSCO
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Golden Research Thoughts
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.aygrt.isrj.org